

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर,

क्रमांक- प.1(1)(1216)आ.कृ/गुप-7/ 3485-90

दिनांक: 6-1-16

-: आदेश :-

कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प-2(3)(जी-36)आ.कृ/गुप-7/3114-3214 दिनांक 07.12.2015 द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ अभियंता के पद पर किया जाकर इन्हें कार्यभार संभालने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाकर निर्देशित किया गया था कि वे आदेश प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करें।

श्री सुमित मेश्राम ने विभिन्न कारणों से कार्यग्रहण करने की अवधि में छूट चाही है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	मैरिट संख्या	पता	कारण	पदस्थापन कार्यालय	कार्यग्रहण में छूट की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुमित मेश्राम	-	रूम न. 17, बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल, बी.एच.यू. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	पी.एच.डी. करने के कारण	सहायक अभियंता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा	06.06.2016

श्री सुमित मेश्राम को कॉलम संख्या 7 में अंकित अवधि तक स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यग्रहण करने की छूट प्रदान की जाती है।

(कुलदीप रांका)

शासन सचिव एवं आयुक्त  
कृषि एवं उद्यानिकी राज0 जयपुर

दिनांक: 6-1-16

क्रमांक- प.1(1)(1216)आ.कृ/गुप-7/ 3485-90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज0 जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बांसवाड़ा।
3. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद् बांसवाड़ा।
4. सहायक अभियंता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा।
5. संबंधित अभ्यर्थी श्री.....।
6. आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)